

किस्म दस्तावेज

1- सम्पत्ति का प्रकार

2- वार्ड/परगना

3- मौहल्ला/ग्राम

4- सम्पत्ति का विवरण

5- मापन की इकाई

6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल

7- सड़क की स्थिति

8- अन्य विवरण

9- विक्रीत कीमत

10- सरकारी मालियती

11- स्टाम्प

12- सर्किल रेट

— बैनामा।

— आवासीय भूखण्ड

— तहसील व जिला आगरा।

— पुष्पांजलि ग्रैंडन्योर, मौजा जगनपुर, आगरा।

— एककिता भूखण्ड संख्या—..... मिनजुमला खसरा सं० 82अ व 82मि०

— वर्गमीटर

—वर्गमीटर

— 12 मीटर चौड़ी

— विक्रीत भूखण्ड पर किसी प्रकार कोई निर्माण नहीं है और जो पार्क फेस का है/नहीं है दो रास्ते व कॉर्नर का है/नहीं है।

—/- रुपया।

—/- रुपया।

—/- रुपया

— 13200/- रुपया प्रति वर्गमीटर जिसका कि मूल्यांकन दर सूची दिनांक 01.08.17 ई० के भाग-2 प्रारूप-2 अर्धनगरीय क्षेत्र के पेज-38 क्रमांक-155 के कालम-5 के अनुसार किया गया है।

सीमायें:-

पूरब —

पश्चिम —

उत्तर —

दक्षिण —

विक्रेता की संख्या: एक

विक्रेता का विवरण :- मैसर्स पुष्पांजलि कन्स्ट्रक्शन्स प्रा०लि० कार्यालय पुष्पांजलि पैलेस, देहलीगेट आगरा (कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित) रजिस्ट्रेशन नम्बर यू 45201यूपी1987पीटीसी008971 दिनांक 08.09.1987 स्थाई लेखा संख्या ए ए सी पी 9604 जे. द्वारा प्रबन्ध निदेशक डा० वी०डी० अग्रवाल पुत्र स्व० श्री कुंजीलाल अग्रवाल निवासी 16ए, प्रभू नगर, जयपुर हाउस, आगरा। फोन नम्बर 8192009545

क्रेता की संख्या : एक

क्रेता का विवरण :-

ववरण प्लॉट विक्रीत :- एक किता भूखण्ड संख्या-..... वतादाद वर्गमीटर मिनजुमला खसरा नम्बर-82अ व 82मि0 पैमाइशी पूरब से पश्चिममीटर व उत्तर से दक्षिणमीटर वाकै पुष्पांजलि ग्रैंडन्योर (RERA No. UPRERAPRJ.....), मौजा जगनपुर, तहसील व जिला आगरा कि जो साथ लगे नक्शे में रंग लाल से स्पष्टतौर पर दर्शाया गया है जिसकी सीमायें ऊपर अंकित कर दी गयी है।

प्रलेख:- विदित हो कि भूखण्ड मजकूरवाला कुल को विक्रेता कम्पनी ने वशमूल दीगर जमीन के जरिये एक बैनामा रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 13.06.2011 ई0 कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम, आगरा की बही नम्बर एक जिल्द 7727 के सफा 315/332 नम्बर 1042 पर दिनांक 16.03.2012 ई0 को विधिवत दर्ज रजिस्टर्ड हुई, के द्वारा पतिराम से व दोयमी बैनामा रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 13.06.2011 ई0 कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम, आगरा की बही नम्बर एक जिल्द 7727 के सफला 333/384 नम्बर 1043 पर दिनांक 16.03.2012 ई0 को विधिवत दर्ज रजिस्टर्ड हुई, के द्वारा श्रीमती गंगादेवी आदि से क्रय कर अध्याप्त की और वाद खरीदारी मजकूर के विक्रेता कम्पनी भूखण्ड मजकूरवाला विक्रीत कुल की एकमात्र वहैसियत पूर्णरूपेण स्वामी मालिक काबिज व दखील चली आती है अन्य कोई साझी व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है कि जो माने किसी तरह के इन्तकाल वगैरा का होवे और जो आज तक हर प्रकार के दावे व झगड़े व रहन व वै व हिंवै व मुआहिदावै व करजे व वार व चार्ज व इन्तकाल व एक्यूजीशन व एक्यूटेबिल मोरगेज व जमानत कुर्की व नालिश व नीलाम एवं समस्त प्रकार की देनदारियों व जिम्मेदारियों आदि से कतई मुक्त पाक व साफ है कि जिसका विक्रय करना स्वीकार है कि जिसका विन्यास मानचित्र आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से विधिवत स्वीकृत है।

लिहाजा विक्रेता कम्पनी अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर भूखण्ड मजकूरवाला विक्रीत को मय गुडटाइटिल के वएवज मुवलिग/- रुपया कि आधे जिसके मुवलिग/- रुपया होते हैं वदस्त - श्री/श्रीमतीपुत्र/पत्नी निवासीक्रेता उक्त को विक्रय कतई किया और बेच दिया और कीमत का कुल धन मुवलिग/- रुपया विक्रेता कम्पनी ने क्रेता उक्त से इस प्रकार प्राप्त कर लिया कि मुवलिग

के द्वारा विक्रेता कम्पनी ने क्रेता उक्त से प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार अब विक्रेता कम्पनी को क्रेता उक्त से कीमत में कुछ पाना बाकी नहीं रहा और न आयंदा होगा।

लिहाजा कब्जा व दखल भूखण्ड मजकूरावाला विक्रीत कुल पर विक्रेता कम्पनी ने वहैसियत पूर्णरूपेण स्वामी के खरीदारा का करा दिया और कतई मालिक मुस्तकिल काबिज व दखील बना दिया। अब आज से खरीदारा को अधिकार है कि वह भूखण्ड मजकूरावाला विक्रीत कुल से वहैसियत स्वामी के जिस प्रकार चाहें लाभान्वित होवें उसमें निर्माण करावें उसमें खुद आबाद हों या किराये पर उठावें या रहन व विक्रय व हिवै व मुआहिदावै आदि जो चाहें सो करें तथा अपने नाम का नामांकन सम्बन्धित विभाग में जरिये बैनामा हाजा दर्ज करा लें इसमें कुछ उजर न होगा।

अगर सानीउलहाल कोई वारिस या दावेदार पैदा होवे या उक्त भूखण्ड के टाइटिल में कोई कमी पायी जाये तो उसकुल की जबावदेही व जिम्मेदारी तनहा विक्रेता कम्पनी की है और होगी। उस समय खरीदारा को अधिकार होगा कि वह अपना कुल रूपया मय हरजा व खरचा व लागात आदि सहित जिस तरह चाहें वसूल करलें इसमें कुछ उजर न होगा।

भूखण्ड मजकूरावाला विक्रीत कुल नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है और नहीं किसी वाद में कोई अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित की गयी है जिसकी बावत विक्रेता कम्पनी ने किसी प्रकार का कोई मुआवजा आदि प्राप्त नहीं किया है कि जिसको विक्रय करने में भारतीय स्टाम्प अधि० की धारा 27 (1) का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

इस विक्रयपत्र का प्रस्तुतीकरण गनेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री मक्खनलाल अग्रवाल निवासी 35/60, नौबस्ता लोहामण्डी, आगरा वहाल निवासी 1562, सैक्टर-7, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, शहर आगरा द्वारा वहैसियत मुख्त्यार आम मुख्त्यारनाम तसदीकशुदा दिनांक 07. 11.2002 ई० जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय, आगरा की बही नम्बर 4 जिल्द 300 के पृष्ठ 303/308 नम्बर 2340 पर दिनांक 11.11.2002 ई० को अन्तर्गत धारा 33 के जिल्द 4 के पृष्ठ 13 वही नम्बर 6 पर दर्ज रजिस्टर्ड हुई, के द्वारा किया गया है।

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। तहरीर तारीख ई० वमसौदा गनेश चन्द्र अग्रवाल दस्तावेज लेखक, सदर तहसील, आगरा व टाईपकर्ता वीरेश कुमार गोयल सदर तहसील आगरा। दस्तावेज हाजा पक्षकारानों के निर्देशानुसार तहरीर व तकमील कर टंकण कराया। उपरोक्त पर चस्पा फोटो की शिनाख्त नीचे लिखे गये गवाहानों द्वारा की गयी है।